3.1 हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी कक्षाओं के लिए स्थान, फर्नीचर आदि की व्यवस्था

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी, हिंदी टंकण/आशुलिपि की कक्षाएं लगाने के लिए स्थान की व्यवस्था उन कार्यालयों के प्रधानों द्वारा की जाती है जिनके परिसर (प्रेमिसेज) में इस प्रकार की कक्षाएं लगायी जाती हैं। कक्षाएं लगाने के लिए फर्नीचर आदि की आवश्यकता होती है, उसकी व्यवस्था करने की भी जिम्मेदारी उन कार्यालयों के प्रधानों की ही है। जिन कार्यालयों के प्रधानों को फर्नीचर पर व्यय करने की वित्तीय शक्तियां प्राप्त नहीं है उन्हें भारत सरकार के संबंधित उच्च कार्यालयों/मंत्रालयों/विभागों को इस प्रयोजन के लिए लिख कर जितनी रकम चाहिए उसकी मंजूरी ले लेनी चाहिए।

(का. ज्ञा. सं. ई- 12047/126/72–हिं. I, दिनांक : 19-9-1973)

3.2 सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को हिंदी, हिंदी टंकण एवं आशुलिपि का प्रशिक्षण देना––हिंदी प्राध्यापकों/सहायक निदेशकों (टं/आशु.) आदि की सेवा के बदले लिया जाने वाला खर्च

सन् 1974 से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों तथा उसके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों के अतिरिक्त केंद्रीय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन, निगमों, निकायों, कम्पनियों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी, हिंदी टंकण तथा आशुलिपि का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।

कुछ स्वायत्त संगठनों ने, जिनका अधिक स्टाफ है, अपने कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण देने के लिए स्वयं प्रबंध किया है परंतु जिन स्वायत्त संगठनों के कार्यालय दूर-दूर फैले हुए हैं उनके लिए प्रशासन की दृष्टि से हर स्थान पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। जो संगठन किसी बजह से अपने कर्मचारियों को हिंदी में प्रशिक्षण देने के लिए स्वयं प्रबंध नहीं कर सकते, गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना का लाभ उठा सकते हैं। हिंदी शिक्षण योजना के अधीन मौजूदा केंद्रों में जहाँ कहीं अतिरिक्त स्थान होता है, वहां स्वायत्त, संगठनों, उद्यमों के कर्मचारियों को भी आसानी से दाखिला दे दिया जाता है। लेकिन इस विभाग की हिंदी शिक्षण योजना द्वारा सरकारी उपक्रमों आदि के लिए विशेष रूप से अलग से कक्षा का प्रबन्ध किया जाता है तो उसका खर्च संबंधित उपक्रम को देना होता है। यदि यह विशेष कक्षा एक से अधिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए खोली जाती है तो खर्च संबंधित उपक्रमों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को संख्या के आधार पर वसूल किया जाता है। जिस प्रकार रिक्त स्थान होने पर हिंदी शिक्षण योजना के मौजूदा केंद्रों में सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को खर्च की मांग किए बिना दाखिला दिया जाता है, उसी प्रकार किसी उपक्रम के लिए विशेष रूप से कक्षा लगाने पर सारा खर्च उपक्रम से लिया जाएगा, लेकिन रिक्त स्थान होने पर उस कक्षा में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को और किसी अन्य उपक्रम जिसके लिए विशेष कक्षा का प्रबन्ध किया गया है इनसे किसी खर्च की मांग नहीं करेगा। उपक्रमों, निगमों, आदि के कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से हिन्दी, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि के अलग से प्रशिक्षण के लिए हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रबन्ध करने के लिए जो खर्चा, उपक्रमों, निगमों से लिया जाता है। खर्च की दरों का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

एक हिंदी प्राध्यापक अथवा एक सहायक निदेशक (टं/आ.) साधारणतः प्रतिदिन चार कक्षाएं लेते हैं और यदि इनकी सेवाएं आंशिक रूप में ली जाती हैं तो उस सूरत में खर्च उसी अनुपात में वहन करना होता है। उपक्रमों, निगमों/बैंकों आदि में हिंदी, हिंदी टंकण/आशुलिपि की कक्षाओं को चलाने के लिए वहन किया जाने वाला खर्च प्रशिक्षण शुल्क एवं परीक्षा शुल्क केंद्रीय सरकार के आय खाते में जमा कराया जाता है।

(का. ज्ञा. सं०11017/2/92–रा. भा. (घ) दिनांक : 5-6-1992)